राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 4402/2022

ललिता कुमारी **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, तिलक मार्ग, राजस्थान जयपुर।
2. निदेशक, (अराजपत्रित) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जोन, जयपुर।
4. मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी, झुंझुनू।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 07.09.2022
आदेश की दिनांक : 07.11.2022

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री अनिल महला, अभिभाषक

समक्ष :– मातादीन शर्मा, सदस्य
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थीया के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थीया वर्तमान में नर्सिंग अधिकारी के पद पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, कालियासर, जिला झुंझुनू में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 03.09.2022 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थीया का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से जिला चिकित्सालय पिपाड सिटी, जिला जोधपुर में वर्तमान पदस्थापन स्थान से 450 कि.मी. दूर बिना किसी कारण के किया गया है तथा अपीलार्थीया का पति वर्तमान में प्रयोगशाला सहायक के पद पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मलसीसर जिला झुंझुनू में कार्यरत है। तथा अपीलार्थीया का तर्क है कि अपीलार्थीया का दिनांक 06.07.2017 को परिपत्र के द्वारा समयोजन नर्स श्रेणी प्रथम के पद पर अधिशेष कार्मिकों (नर्स द्वितीय श्रेणी) को समायोजन किया गया, इस कारण उक्त पद अधिशेष नहीं है। अपीलार्थीया ने अपने स्थानान्तरण के सम्बन्ध में कभी कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया। अपीलार्थीया का स्थानान्तरण बिना मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए किया गया है, जो स्थानान्तरण नीति एवं नियमों के विपरीत है।

अतः अपील अपीलार्थीया स्वीकार फरमाई जाकर आलोच्य आदेश दिनांक 03.09.2022 (अनुलग्नक–1) को अपीलार्थीया की सीमा तक अपास्त किया जावे तथा

अपीलार्थीया को निरंतर नर्सिंग अधिकारी के पद पर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, कालियासर, जिला झुंझुनू में कार्य करने दिया जावे।

हमनें अपीलार्थीया के विद्वान् अधिवक्ता की अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

बहस के दौरान अपीलार्थीया के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अधिकारों को त्यागते हुये यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थीया द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया गया। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थीया के विद्वान अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थीया आगामी तीन सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (speaking order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थीया को दे। यहॉ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थीया के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(मातादीन शर्मा)
सदस्य